

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	तेज सिंह सेजदार,राउमावि.हलैना भरतपुर	भूगोल	15.06.58	30.06.18
2	जगदीश चन्द शर्मा,राउमावि. अखैगढ़ नदवाई भरतपुर	भूगोल	10.07.58	31.07.18
3	सोहन लाल,राउमावि. झालावाड़	अर्थशास्त्र	08.08.58	31.08.18
4	ईश्वर चन्द्र भारद्वाज,राउमावि. बकानी झालावाड़	अर्थशास्त्र	05.09.58	30.09.18
5	चन्द्रकान्ता,राउमावि. जालोर	राजस्थानी	01.07.58	30.06.18
6	पर्ल शर्मा,रा.सावित्री बा.उमावि. अजमेर	भूगोल	20.06.58	30.06.18
7	कृष्णचन्द्र पण्ड्या,राउमावि. पाल देवल डूंगरपुर	अर्थशास्त्र	15.01.59	31.01.19
8	चन्दूलाल मीणा,राउमावि. दामडी डूंगरपुर	भूगोल	04.07.58	31.07.18
9	रणछोडलाल गरासीया,राउमावि. धम्बोला डूंगरपुर	भूगोल	11.10.58	31.10.18
10	प्रेमचन्द ननोमा,राउमावि. पादरा डूंगरपुर	भूगोल	01.01.59	31.12.18
11	हरि प्रसाद जोशी,राउमावि. इन्दौडा डूंगरपुर	भूगोल	05.01.59	31.01.19
12	पुरुषोत्तम डामोर,राउमावि. सादडीया डूंगरपुर	भूगोल	25.01.59	31.01.19
13	शम्भुलाल डामोर,राउमावि. सीथल डूंगरपुर	भूगोल	10.02.59	28.02.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सम्बन्धित मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक)
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

दिनांक 21/12/2017



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगकृ/2015-16

दिनांक:-

:: कार्यालय आदेश ::

श्री ललिता प्रसाद, व्याख्याता (गणित), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूपवास (भरतपुर) जिनकी जन्मतिथि 01.08.1958 है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक: 30.07.2018 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री ललिता प्रसाद के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगकृ/2015-16

दिनांक:- 21-12-17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, भरतपुर ।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) भरतपुर ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, रूपवास (भरतपुर) ।
6. संबंधित कार्मिक श्री ललिता प्रसाद ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर